COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

(32)

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

कैम्प जबलपुर म0प्र0

रिवीजन क्रमांक ..../2018

निगरानी-5328/2018/कटनी/भू.रा.

रिवीजनकर्ता : कोदू सिंह पिता जबेर सिंह आयु करीब 49 साल निवासी – ग्राम टिकरिया ग्राम पंचायत तखला जनपद पंचायत कटनी जिला–कटनी म0प्र0 ।

विरूद्ध

उत्तरवादी :

1– म0प्र0 शासन द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ।

2– देवेन्द्र कुमार दुबे पिता श्री कृष्ण नारायण दुबे ग्राम जरवाही ग्राम पंचायत जरवाही जनपद पंचायत कटनी जिला कटनी म0प्र0 ।

3– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर कटनी जिला कटनी म0प्र0 ।

27 AUG 2018

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P.19/23/4/21 -B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 के अपील प्रकरण क्रमांक 249/बी–121/ 2016–17 में पक्षकार देवेन्द्र कुमार दुबे विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत तखला जनपद पंचायत कटनी में पारित आदेश दिनांक 29.06.23018

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी / 5328 / 2018 / कटनी / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
12–10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 0249 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2018 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत तखला जनपद पंचायत कटनी द्वारा दिनांक 4.10.14 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 4 में ग्राम टिकरिया खसरा कमांक 421, 460, 598 में बनी अस्थाई पगडंडी को नक्शे से पृथक किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी कटनी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा तहसीलदार, अधीक्षक भू–अभिलेख कटनी, एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी से प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 29.1.16 आदेश पारित किया गया जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अपील प्रकरण कमांक 249 / बी–121 / 2016–17 दर्ज होकर दिनांक 29.6.18 को अपील स्वीकार की गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत तखला द्वारा	

पारित प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम टिकरिया पटवारी हल्का नंबर 50 में स्थित भूमि खसरा नंबर 421, 460, 598, में नक्शे में दर्ज पगडंडी मार्ग विलुप्त करते हुये तथा खसरा नंबर 420, 516, 523 राजस्व अभिलेखों में दर्ज टिकरिया से ग्राम ठरका की ओर जाने वाली कच्ची सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित किया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि ग्राम पंचायत तखला जनपद पंचायत कटनी द्वारा दिनांक 4.10.14 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 4 में ग्राम टिकरिया खसरा नंबर 421, 460, 598, में बनी अस्थाई पगडण्डी सड़क को नक्शे से प्रथक किये जाने हेतु एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी कटनी के समक्ष प्रस्ताव पारित कर उक्त पगडण्डी को नक्शे से पृथक किये जाने हेतु एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी कटनी के समक्ष प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त प्रकरण की कार्यवाही कलेक्टर कटनी द्वारा प्रारंभ की गई है। तर्क में यह भी कहा गया है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम टिकरिया के उक्त खसरों का परिक्षेत्र सहायक पहाड़ी एवं बीट गार्ड पहाड़ी के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि खसरा नंबर 421, 460, 598, में बनी अस्थाई पगडण्डी सड़क

उक्त खसरों के अंश भाग से लगभग 10 से 12 फुट चौडाई में बनी है तथा रास्ते के दोनों ओर गहरी खदाने हैं जिसमें पानी भरा हुआ है उस रास्ते को आम रास्ता बनाये जाने में कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील देवेन्द्र कुमार दुबे को प्रस्तुत करने की अधिकारिता है अथवा नहीं, चूंकि देवेन्द्र कुमार दुबे ग्रम पंचायत जरवाही का निवासी है ना कि ग्राम पंचायत ठरका का। इस कारण दूसरे ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्व ना तो अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता है ना ही निगरानी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम विरूद्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णत विधि के सिद्वांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त जबलपुर का आदेश दिनांक 29.6.18 निरस्त कर कलेक्टर जिला कटनी का आदेश दिनांक 29.1.16 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अनावेदक कमांक –2 ग्राम पंचायत तखला का निवासी नहीं है लेकिन जनहित में किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुददे पर प्रकरण दायर करने हेतु अधिकारिता प्राप्त है । अपर आयुक्त का आदेश उचित

एवं सही है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं है इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि ग्रामवासियों को रास्ते के विलोपित किये जाने में आपत्ति है। जो कि ग्रामवासियों के सुखाचार से संबंधित है। प्रकरण में पृष्ठ कमांक 30 में संलग्न इश्तहार दिनांक 21.10.14 को जारी किया गया जिसमें ग्रामवासियों के 12 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है तथा कोटवार की रिपोर्ट में यह भी लेख किया गया है कि ग्राम में मुनादी भी की गई। अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी से भी अभिमत लिया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि '' ग्राम पंचायत तखला सरपंच द्वारा पंचायत स्तर से नवीन सड़क जो खसरा नंबर 420, 516, 535, से ग्राम टिकरिया की आबादी के बाहर से होते हुये ठरका की ओर वाया भानपुरा शिराजपुर आने–जाने में ग्रामीणों को कोई असुविधा नहीं होगी तथा पुराने रास्ते से होने वाली संभावित दुर्घना का रोका जा सकता है, ताकि ग्राम टिकरिया से लगे वन कक्ष कमांक 102 ठरका में भविष्य में निकाले गये कूप से वाहन आने–आने में पुराने रास्ते का कोई उपयोग नहीं होता उक्त रास्ते को बंद किये जाने पर वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः प्रकरण में चाहा गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मय मौका पंचनामा के संलग्न सम्प्रेषित है''

कलेक्टर जिला कटनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त अभिलेख एवं दस्तावेजों का परिशीलन करने पर एवं सरपंच ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 4 में ग्राम टिकरिया खसरा नंबर 421, 460, 598, में बनी अस्थाई पगडण्डी सड़क से पृथक किये जाने बावत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संपूर्ण कार्यवाही करते हुये कोई आपत्ति किसी भी विभाग द्वारा नहीं की गई है और न ही किसी खातेदारों द्वारा आपत्ति की गई है। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा अपने आदेश में यह भी लेख किया गया है कि 460 के अंश भाग पर लगभग 10–12 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है तथा रास्ते के दोनों तरफ गहरी खदानें हैं जिस पर पानी भरा हुआ है, उक्त रास्ते को आम रास्ता बनाये जाने पर कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो सकती है, तथा खसरा नंबर 598 के अंश भाग नक्शे में बनी पगडंडी रोड नक्शे में हरी लाईन से वन विभाग की सीमा के अंदर बनी हुई हे जिसे पटवारी चालू नक्शा चालू शीट में टिकरिया से शिवराजपुर होकर ठरका जाने के लिये रास्ता शासकीय खसरा नंबर 420, 515, 535 से ग्राम टिकरयिा की आबादी के बाहर से होते हुये बना हुआ है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 जो कि कलेक्टर को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उसके अनुसार उनके द्वारा आदेश पारित किया गया है और समस्त अधीनस्थ विभागों द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जाकर ही कलेक्टर जिला कटनी को प्रतिवेदन भेजा

गया है उन प्रतिवेदनों को उचित मानते हुये ही कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि प्रकिया से उचित है। अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है कि अनावेदक कमांक –2 जो अन्यत्र ग्राम पंचायत का व्यक्ति है, और उसका कोई भी खसरा नंबर प्रभावित नहीं हो रहा है। अनावेदक कमांक–2 के आवेदन पर अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि " **कलेक्टर कटनी को निर्देशित किया जता है कि अपीलार्थी (अनावेदक कमांक–2) द्वारा प्रस्तुत पुर्नास्थापन आवेदन को स्वीकार करते हुये अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये विधि अनुकूल आदेश पारित किया जावे।** अपर आयुक्त जबलपुर का यह आदेश अधिकारिता रहित आदेश है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 249 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.18 विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर जिला कटनी का प्रकरण कमांक 92 / बी–121 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य